## न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002772014</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—194 / 14</u> संस्थापित दिनांक—22.04.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—चतरा पुत्र नोला बंजारा उम्र 40 साल निवासी खलीलपुर 02—दयाराम पुत्र नोला बंजारा उम्र 35 साल निवासी खलीलपुर 03—राजेश उर्फ राजू पुत्र उदा बंजारा उम्र 19 साल निवासी खलीलपुर
आरोपीगण
राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :— श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।ं

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 22.02.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 323, 294, 506बी, 34, 324 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रूपसिंह ने दिनांक 04.03.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने विधा घर के खेत पर गया तो देखा कि उसके खेत में पप्पू उर्फ चतरा, दयाराम, राजेश बंजारा ट्रेक्टर निकाल रहे थे जिससे फसल ट्रेक्टर के नीचे कुचल रही थी तो उसने उनसे ट्रेक्टर निकालने से मना किया तो वे तीनों उसे अश्लील गालियां देने लगे और जब उसने गाली देने से मना किया तो तीनों ने उसे रोककर पकड़कर लात घूसों से मारपीट की। जब वह चिल्लाया तो धेना बचाने आया तो धेना को दयाराम ने कुल्हाडी मार दी जिससे उसे चोट आई तभी हरदू बचाने लगा तो आरोपीगण बोले कि आज तो बचा लिया आइंदा जान से खत्म कर देंगे और ट्रेक्टर पर बैठकर चले गए। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 91/14 के अंतर्गत भादिव की धारा 341, 323, 294, 506बी, 34, 324 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 341, 323/34, 324/34, 506बी के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 04.03.14 को समय करीब 16.30 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम भीलरी में फरियादी के खेत के पास फरियादी रूपसिंह को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत को अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आपने या आप में से किसी ने आहत रूपसिंह की लात—घूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत को अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आपने या आप में से किसी ने आहत ध्याना को धारदार हथियार कुल्हाडी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 5. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रूपसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रूपसिंह, अ.सा. 02 धेना, अ. सा. 03 हरदा, अ.सा. 04 नंदिकशोर, अ.सा. 05 डॉ बी पी गौतम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई।

07— अभियोजन साक्षी 01 रूपसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार वह घटना के समय अपने खेत पर देखरेख करने जा रहा था तब आरोपीगण द्रेक्टर लेकर आए तो उसने उनसे कहा कि द्रेक्टर मत निकालो, लेकिन वे नहीं माने। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने उसे मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां दीं और जब उसने उन्हें ऐसा करने से मना किया तब आरोपीगण उसे लात—घूसों से मारने लगे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी दयाराम कुल्हाडी लेकर आ गया था और जब उसने धनु व हरदा को आवाज दी तब दयाराम ने उसे कुल्हाडी से मारना चाहा जो धनु के दांहिने हाथ में लग गया था जिससे उसे चोट आई थी। अ.सा. 02 धेना ने भी अपने कथन में

बताया है कि घटना के समय वह अपने खेत पर था और उसने अपने खेत से देखा कि आरोपीगण और फरियादी के बीच झगड़ा हो रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार जब वह मौके पर पहुंचा तब उसने देखा कि आरोपीगण फरियादी के साथ मारपीट कर रहे थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण से उसने जब कहा कि क्यों मारपीट कर रहे हो तो उन्होंने उसे कुल्हाड़ी मारी जिससे उसके हथेली में चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके बाद हरदा भी मौके पर आ गया था। अ.सा. 03 हरदा ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को देक्टर निकालने पर से लड़ाई हो गई थी तथा आरोपीगण फरियादी को मार रहे थे। उक्त साक्षी के अनुसार वह बीचबचाव करने पहुंचा था। उपरोक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब मारपीट हो रही थी।

08— अ.सा. 01 ने अपने कथन में बताया है कि उसने घटना के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्रपी 01 है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अ.सा. 04 जो कि मामले का विवेचक है ने फरियादी द्वारा की गई रिपोर्ट प्रपी 01 को प्रमाणित किया है तथा कथन किया है कि फरियादी द्वारा प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने नक्शामौका प्रपी 02 भी प्रमाणित किया है तथा जप्ती पंचनामा प्रपी 09 को प्रमाणित करते हुए बताया है कि जप्ती की कार्यवाही उसके द्वारा की गई थी। उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिसके आधार पर प्रपी 01 की रिपोर्ट एवं प्रपी 09 की जप्ती की कार्यवाही अविश्वसनीय प्रमाणित होती हो। अ.सा. 05 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है ने अपने कथनों में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 04.03.14 को आहत ध्याना एवं रूपसिंह का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 10 एवं प्रपी 11 बताई गई है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त रिपोर्टानुसार आहत ध्याना को धारदार हथियार से चोट आई थी तथा आहत रूपसिंह को सख्त एवं भौंथरे हथियार से चोट आई थी। इस प्रकार अ.सा. 05 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को ही आहतगण को चोटें आई थीं।

अ.सा. 01 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उक्त साक्षी को गालियां दी गई थीं तथा उसके साथ तीनों आरोपीगण ने मारपीट भी की थी। अ.सा. 02 जो कि मामले में आहत भी है उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादी के साथ आरोपीगण ने मारपीट की थी तथा वह बीचबचाव करने गया था। उक्त साक्षी को आरोपीगण ने कुल्हाडी से मारा था जिससे उसे चोट आई थीं। इस प्रकार अ.सा. 01 की साक्ष्य का अनुसमर्थन अ.सा. 02 की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 की साक्ष्य का अनुसमर्थन अ.सा. 03 की साक्ष्य से भी हो रहा है। अ.सा. 03 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है तथा उक्त साक्षी ने अपने कथनों में अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 की साक्ष्य का स्पष्ट रूप से अनुसमर्थन किया है। अ.सा. 01 एवं अ. सा. 02 की साक्ष्य की संपृष्टि अ.सा. 05 चिकित्सक की साक्ष्य से भी हो रही है। उपरोक्त साक्षीगणों की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झुटा मामला प्रस्तृत किया गया है। आरोपीगण की ओर से भी ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तृत साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त ध ाटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट कर उपहति कारित की गई, फरियादी को गालियां दी गईं एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। अभियोजन साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि आरोपीगण द्वारा आहत धेना को कुल्हाडी जैसे धारदार हथियार से मारपीट कर उसे उपहति कारित की गई। अभियोजन की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा फरियादी का रास्ता रोका गया।

- 10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 बी के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 11. आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला–अशोकनगर

## पुनश्च:-

- 12. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री के एन भार्गव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध फरियादी के साथ कारित किया गया है। आरोपीगण के कृत्य से फरियादी को चोटें आई हैं जो कि गम्भीर प्रकृति की हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।
- जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि किसी के द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाया जाता है तो ऐसी दशा में उसे गंभीर परिणाम भूगतने पड सकते है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में तीनों आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में 200-200 / - रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण तीन दिन का साधारण कारावास भोगेंगे। तीनों आरोपीगण को भादवि की धारा 323 / 34 के आरोप में एक-एक माह का साधारण कारावास एवं 300-300 / - रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण तीन दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। तीनों आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप में तीन–तीन माह का साधारण कारावास एवं 500-500 / - रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपीगण सात दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। तीनों आरोपीगण को भादवि की धारा 506 बी के आरोप में एक-एक माह का साधारण कारावास एवं 200-200. /-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण तीन दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

- 14. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 15. प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाडी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।
- 16. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 17. आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)